APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट खेजड़ी

सुश्री अनुष्का पुत्री टीकम चन्द बाबेल, निवासी – अण्टाली **बनाम चन्द्रसिंह पिता कन्हैयालाल बाबेल निवासी– अण्टाली**

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, 88 रा.टी. ए. **प्रकरण संख्या–1719/2016**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2018	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट खेजडी मे पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण अनुपस्थित । न्यायालय हाजा के प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2017 की पालना हेतु तहसीलदार हुरड़ा को लिखा जाने पर तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/2017/10 दिनांक 14.07.2017 से प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है ।	

1– श्रेष्ठा देवी पत्नि टीकम चन्द , शोम्य ना.बा. पिता टिकम चन्द , अनुष्का , परी ना.बा. पुत्रिया टिकम चन्द बाबेल बा.बि. माता श्रेष्ठादेवी पत्नि टिकम चन्द सा0 अण्टाली के हिस्से में :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
खेडी	1638/1	01 बीघा 04 बिस्वा	8.40
	1646/1	01 बीघा 03 बिस्वा	5.29
कुल किता 2		02 बीघा 07 बिस्वा	13.69
खेजडी	1031/1	00 बीघा 02 बिस्वा	0.70

2 – चन्द्रसिंह पिता कन्हैयालाल , महावीर प्रसाद पिता हीरालाल महेता साकिन देह के हिस्से मे, रहन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा आसीन्द हिस्सा महावीर प्रसाद का –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
खेडी	1638/2	02 बीघा 17 बिस्वा	19.95
	1639	00 बीघा 19 बिस्वा	0.28

सहायक कलेक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	1646/2	02 बीघा 14 बिस्वा	12.42	
	कुल किता 5	07 बीघा 01 बिस्वा	32.76	

3– चन्द्रसिंह पिता कन्हैयालाल साकिन अण्टाली , महावीर प्रसाद पिता हीरालाल महेता सा0देह , मु0 सौसर पत्नि मिश्री पिनारा , चन्द्रसिंह पिता कन्हैयालाल जैन , महावीर प्रसाद पिता हीरालाल महेता सा. देह खातेदार रहन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा आसीन्द हिस्सा महावीर प्रसाद का :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
खेजडी	1031	00 बीघा 16 बिस्वा	5.60
	कुल किता 1	00 बीघा 16 बिस्वा	5.60

4– शामिल खाते में रहेगी :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
खेजडी	2311/1297	00 बीघा 02 बिस्वा	0.02
	कुल किता 1	00 बीघा 02 बिस्वा	0.02

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 13.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट खेजडी मे सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official